संविधान

अभिभावक–अध्यापक संघ

“उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र”

राजकीय महाविद्यालय संजौली

शिमला–171006 हिमाचल प्रदेश

पंजीकरण संख्या...............   दिनांक...............

“अभिभावक-अध्यापाक संघ”

“उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र”

राजकीय महाविद्यालय संजौली

शिमला-171006 हिमाचल प्रदेश

अभिभावक-अध्यापक संघ ***“उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र”*** राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला-171006 हिमाचल प्रदेश की साधारण सभा का अधिवेशन दिनांक.......... को ***“उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र”*** राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला-171006 के प्राचार्य की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए।

प्रस्ताव-1

सर्व प्रथम सर्वसम्मति से निम्नलिखित कार्यकारिणी का चुनाव हुआ।

1. संरक्षकः **डॉ. उमा रणदेव**
2. प्रधान...
3. वरिष्ठ उप-प्रधान...
4. उप-प्रधान..
5. सचिव...
6. सह-सचिव..
7. कोषाध्यक्ष..
8. सलाहकार..

अन्य सदस्य

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

अंकेक्षक/ऑडिटर

1. ....
2. ....
3. ....

प्रस्ताव-2

सर्वसम्मति से अभिभावक-अध्यापक संघ ***“उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र”*** राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला-171006 हिमाचल प्रदेश के नियामों को स्वीकार तथा ग्रहण किया गया।

प्रस्ताव-3

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभिभावक-अध्यापक संघ ***“उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र”*** राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला-171006 हिमाचल की सभा पंजीकरण अधिनियम संख्या XXI ऑफ 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया जाए तथा इस पंजीकरण हेतू पंजीयक सभा शिमला की सेवा में प्रार्थित की जाए।

प्रस्ताव-4

सर्वसम्मति से............... को यह अधिकार दिया जाए जाता है कि संघ के पंजीकरण हेतू पंजीकृत सभा शिमला से आवश्यक पत्र व्यवहार करें तथा पंजीकरण कागजात में किसी भी प्रकार की त्रुटि के निराकरण हेतू आवश्यक संशोधन आदि अपने हस्ताक्षरों से करें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त, प्रस्तावों की वास्तविक प्रति है। हम सब निम्नलिखित जिनके नाम व विवरण अंकित हैं। इस 'अभिभावक संघ' का पंजीकरण अधिनियम XXI ऑफ 1860 के अन्तर्गत करवाने के सहर्ष इच्छुक एवं प्रार्थी हैं।

<u>अभिभावक-अध्यापक संघ की प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची</u>

क्र. सं.	नाम	आयु	पद	पिता का नाम	व्यवसाय पूरा	पता
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

अभिभावक -अध्यापक संघ के उद्देश्य-

1. अभिभावक-अध्यापकों के बीच सम्पर्क स्थापित करना और उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना।
2. संस्था में स्वच्छ एवं उत्तम शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करना।
3. संस्था/महाविद्यालय में अतिरिक्त भवन, छात्रावास, अतिरिक्त अस्थाई एवं दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्तियां, फर्नीचर, बिजली-पानी तथा पुस्तकालय आदि की आवश्यकतानुसार सुविधायें जुटाना।
4. छात्र-छात्राओं में अपनी उत्कृष्ट जीवन-वृत्ति के प्रति जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन समिति की व्यवस्था करवाना।
5. संस्था/महाविद्यालय की समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक कदम उठाना।

6. संस्था की बहुमुखी उन्नति हेतू सामूहिक प्रयास करना।
7. छात्र/छात्राओं को नैतिक मूल्यों के प्रति प्रेरित करना।

नामः- 'अभिभाव-अध्यापक संघ'

8. पत्र-व्यवहार का पताः ***"उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र"*** राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला-171006 हिमाचल प्रदेश

"अभिभावक-अध्यापक संघ"

नियम तथा उपनियमः

1. ***"उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र"*** राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला-171006 हिमाचल प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के माता/पिता अभिभावक और अध्यापक, संघ के सदस्य होंगे।
2. सदस्यता शुल्क प्रत्येक सदस्य को अपने पुत्र/पुत्री को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सदस्यता शुल्क के रूप में . ... अदा करने होंगे। कार्यकारिणी इस राशि में समय-समय पर परिवर्तन कर सकती है।
3. **साधारण सभाः** -
   साधारण सदस्य को मिलाकर संघ की साधारण सभा का गठन होगा। प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक प्रस्ताव में एक मत देने का अधिकार होगा।
4. **कार्यकारिणीः-**
   संघ की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में कार्यकारिणी का चुनाव बहुमत से किया जायेगा, जिसकी अवधि केवल एक शैक्षणिक वर्ष होगी। किन्ही विशेष परिस्थितियों में यह अवधि कार्यकारिणी द्वारा साधारण बहुमत से अधिक से अधिक छः मास तक और बढ़ाई जा सकेगी। कार्यकारिणी के निम्नलिखित पदाधिकारी तथा सदस्य होंगेः- **संरक्षक, प्रधान, वरिष्ठ प्रधान, उप-प्रधान सचिव, सह-सचिव, सलाहकार, कोषाध्यक्ष तथा पांच से सात सदस्य।** इन सदस्यों में तीन सदस्य आचार्य वर्ग महाविद्यालय से होंगे, जिसमें एक महिला भी होगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय छात्र परिषद के प्रधान व सचिव भी सदस्य होंगे।
5. **कार्यकारिणी के कर्त्तव्यः** -
   कार्यकारिणी अभिभावक-अध्यापक संघ का कार्य चलाने के लिए उत्तरदायी होगी तथा अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकेगी जो संघ की साधारण सभा द्वारा पंजीकरण अधिनियम XXI ऑफ 1860 के अन्तर्गत दिये होंगे।
6. **कार्यकारिणी के रिक्त स्थानों की पूर्तिः** -
   यदि किन्हीं अन्य कारणों से कार्यकारिणी में कोई रिक्त स्थान हो जायेगा तो कार्यकारिणी को अधिकार होगा कि वह साधारण सभा के सदस्यों में से मनोनयन द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति शेष अवधि के लिये करे।
7. कार्यकारिणी के सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार तथा अस्वीकार करने का अधिकार भी कार्यकारिणी को होगा।

कार्यकारिणी के अधिकार

9. **साधारणतया कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार होंगे।**
   (क). संघ के आय व्यय का ब्यौरा तैयार करके साधारण सभा में प्रस्तुत करना व अगले वर्ष के लिए बजट तैयार कर प्रस्तुत करना।
   (ख). दान, शुल्क आदि प्राप्त करना।
   (ग). प्रधान, वरिष्ठ उप-प्रधान, सचिव व संरक्षक को विशेष अधिकार प्रदान करना।
   (घ). संघ के धन का राजकीय महाविद्यालय संजौली की उन्नति हेतु व्यय करना।

10. कार्यकारिणी की बैठकः-
कार्यकारिणाी की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार अवश्य होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार बैठक समय पूर्व भी बुलाई जा सकती है। कार्यकारिणी का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा। कार्यकारिणी बैठक का कोरम पूरा न होने की दशा में बैठक स्थगित भी कर सकती है और अगले 10 दिनों के भीतर पुनः बैठक बुलाई जा सकती है। पुनः बुलाई गयी बैठक में निर्णय लिया जायेगा, जिन्हें पूर्व बैठक के नोटिस में शामिल किया गया होगा।

11. साधारण सभा के अधिकारः-
(क). कार्यकारिणी का चुनाव बहुमत से करना।
(ख). अंकेक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना।
(ग). अंकेक्षक (ऑडिटर) की नियुक्ति करना।
(घ). उन सभी विषयों पर विचार करना जो कार्यकारिणी द्वारा साधारण सभा के सम्मुख रखे गये होंगे।

12. नियमों तथा उपनियमों में संशोधनः-
साधारण सभा में उपस्थित 2/3 बहुमत से संघ के नियमों अथवा उपनियमों में संशोधन तथा वृद्धि आदि करने का अधिकार प्राप्त होगा।

13. **अंकेक्षण (ऑडिट):** संघ का अंकेक्षण साधारण सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा वर्ष में एक बार अवश्य किया जाएगा।

14. अभिभावक- अध्यापक संघ के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्यः

(क). संरक्षकः-
संघ की समस्त कार्यवाही का समन्वयक होगा।

(ख). प्रधानः-
संघ के साधारण अधिवेशनों तथा कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
बराबर मतों की दशा में प्रधान को एक निर्णायक मत देने को अधिकार होगा।

(ग). वरिष्ठ उपप्रधानः-
प्रधान की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। प्रधान वरिष्ठ उप-प्रधान दोनों की अनुपस्थिति में उप-प्रधान बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सभापति का चुनाव करेंगे।

(घ) सचिवः-
संघ के सभी प्रकार के कार्यो की देखभाल करेगा तथा प्रधान की अनुमति से कार्यकारिणी और साधारण सभा की बैठक बुलाएगा। यह बैठकों की समस्त कार्यवाही रजिस्टर में अंकित करेगा।

(ड.) कोषाध्यक्षः-
कार्यकारिणी के आदेशानुसार कार्य करेगा। संघ के खाते से धनराशि निकालने का अधिकार केवल महाविद्यालय के प्राचार्या/प्राचार्य (संरक्षक) और कोषाध्यक्ष को संयुक्त रूप से होगा।

15. आय के साधानः-
संघ की आय निम्नलिखित साधानों से होगीः-
(क). सदस्यों का वार्षिक सदस्यता शुल्क एवं अनुदान
(ख). सरकार तथा अन्य संस्थानों से सहायता तथा अनुदान आदि-आदि।

16. संघ का भंग होनाः-
सभी सदस्यों के 3/5 बहुमत से संघ को भंग करने हेतु निर्णय लिया जा सकता है तथा संघ को भंग करने के लिए पंजीकरण अधिनियम XXI ऑफ 1860 की धारा 13 व 14 का अनुपालन किया जाएगा।

17. संघ की बैठकों में भाग न लेने का परिणामः-
ऐसा कार्यकारिणी सदस्य जो कार्यकारिणी की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेगा और उसका कोई उचित कारण न होगा, उसे कार्यकारिणी द्वारा पदच्युत करने का अधिकाार होगा।

18. सह सदस्यः -

यदि कार्यकारिणी उचित समझे तो जिलाधीश/नगरपालिका के सदस्यों/तकनीकी विशेषज्ञों में से कोई एक या सभी को सह-सदस्यों के रूप में संघ की कार्यकारिणी में मनोनीत किया जा सकता है परन्तु किसी भी अधार पर उस मनोनीत सदस्य को मत देने को अधिकार नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संघ के नियमों तथा उपनियमों की वास्तविक प्रति है जिसे संघ ने अपनी साधारण सभा के अधिवेशन में ग्रहण तथा स्वीकार किया है।

संरक्षक	प्रधान	सचिव
हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित
( )	( )	( )